न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि०/विशेष न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम, शामली।
उपस्थितः– सुरेन्द्र कुमार राय, (एच.जे.एस.) (JO CODE–UP 1761)

सेशन केस सं.–100288/2018
सरकार–बनाम–यशपाल
मु0 अ 0 सं0 37/2016
धारा–138B विद्युत अधिनियम,
थाना–बाबरी, जिला शामली।

निर्णय

दिनांक–04.08.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त यशपाल समक्ष न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादा हाजा में विद्युत विभाग की समस्त देय धनराशि मय समन अदा कर दिया है, जिसके अनुक्रम में वाद उक्त का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित विद्युत निगम के अधिवक्ता श्री अनुपम दीक्षित द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त यशपाल पुत्र इन्दर निवासी ग्राम गोगावान जलालपुर थाना बाबरी, जिला शामली द्वारा शमन शुल्क जमा करके अपने अपराध का समन करा लिया है। अभियुक्त का यह प्रथम शमन है। विभागीय शमन पत्र संलग्न है। ऐसे में विद्युत अधिनियम की धारा 152 के तहत अपराध शमन होने के कारण कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

विद्युत विभाग शामली द्वारा निर्गत पत्र व रशीद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि जमा किये जाने का अंकन है।

अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त के द्वारा पूर्व में ही प्रशमन की कार्यवाही की गई है। अतः यह मामला धारा 152(4) विद्युत अधिनियम से बाधित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि धारा 152 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि बिजली चोरी से सम्बंधित मामले शमनीय मामले होंगे, यदि प्रशमन शुल्क किलोवाट के आधार पर जैंसा कि उक्त धारा में दिया गया है, जमा कर दिया जाये। मामले में अभियुक्त के द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है, जिससे सम्बंधित रसीद की प्रति संलग्न की गई है। ऐसी दशा में धारा 152(2) सपठित धारा 152(3) के तहत इस मामले को प्रशमित किया जाना न्यायोचित है, जिसका प्रभाव अभियुक्त के लिये दोषमुक्ति का होगा। स्पष्ट किया जाता है कि धारा 152(4) विद्युत अधिनियम के तहत प्रशमन की कार्यवाही केवल एक बार अनुमन्य है।

आदेश

सत्र वाद सं. 100288/2018, मु.अ.सं. 37/2016 धारा 138B विद्युत अधिनियम, थाना बाबरी, जिला शामली प्रशमित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार दाखिल दफ्तर की जाये। स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व की वसूली यदि कोई हो, उसके सम्बंध में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विभाग अभियुक्त से बकाया राजस्व नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०/विशेष न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम, शामली।